



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2016/ज्येष्ठ 9, 1938

No. 378]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2016/JYAISTHA 9, 1938

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 मई, 2016

सा.का.नि. 560(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 12क की उपधारा (6) के परंतुक के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (थथजक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) **"अधिनियम"** से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;
- (ख) **"अंतरण प्रभार"** से नियम 6 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार यथा अधिसूचित राज्य सरकार को अंतरिती द्वारा समय-समय पर सदत्त की जाने वाली रकम, अभिप्रेत है;
- (ग) **"अंतरिती"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे कैप्टिव प्रयोजनार्थ उपयोग की जाने वाली नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा अंतरित किया जाना है;
- (घ) **"अंतरक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अंतरण किए जाने वाला ऐसा खनन पट्टा धारण करता है जिसे नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त गया था और जिसका उपयोग कैप्टिव प्रयोजनार्थ किया जा रहा है;
- (ङ.) **"कैप्टिव प्रयोजनार्थ उपयोग"** से पट्टेदार के स्वामित्व वाली विनिर्माण यूनिट में खनन पट्टा से निष्कर्षित खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अभिप्रेत है;
- (च) **"प्रेषित खनिज का मूल्य"** का वही अर्थ होगा जो उसका खनिज (नीलामी) नियम 2015 के नियम 8 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, किन्तु जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उनका इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में है।

3. लागू होना : (1) ये नियम, नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त खनन पट्टा, जिसका कैप्टिव प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, के अंतरण को लागू होंगे।

4. अंतरण की शर्तें : (1) नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त खनन पट्टा, जिसका उपयोग कैप्टिव प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, के अंतरण की अनुमति सिवाय इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं होगी।

(2) नीलामी से भिन्न तरीके से प्रदत्त खनन पट्टा के अंतरण की अनुमति केवल वहां होगी, जहां ऐसे खनन पट्टा से निष्कर्षित खनिज की पूरी मात्रा का पट्टेदार के स्वामित्व वाली विनिर्माण यूनिट में उपयोग किया जा रहा है।

(3) नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त खनन पट्टा, जिसका कैप्टिव प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, के अंतरण संबंधी कोई भी अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:-

- (क) खनन संक्रियाएं करने हेतु, लागू विधियों के अधीन जैसी अपेक्षा की जाए सभी सम्मतियां, अनुमोदन, अनुज्ञापत्र, अनापत्तियां आदि और जिन्हें अंतरक द्वारा प्राप्त किया गया या, आवश्यक परिवर्तनों सहित, अंतरिती को अंतरित हो जाएंगी;
- (ख) अंतरिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन उन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार लिया है जिनके, ऐसे खनन पट्टा के संबंध में अंतरक अध्याधीन था;
- (ग) खनन पट्टा के अंतरण की तारीख से ही अंतरिती खनन पट्टा संबंधी किन्हीं और सभी दायित्वों के संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रति दायी होगा;
- (घ) अंतरिती यह सुनिश्चित करेगा कि खनन पट्टा से निष्कर्षित रिजेक्टस अथवा टेलिंग्स अथवा स्लाईम अथवा डंप ओवरबर्डन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अनन्यतः कैप्टिव प्रयोजनार्थ किया जाएगा और इसे विक्रीत अथवा निर्यात नहीं किया जाएगा; और
- (ङ.) अंतरिती खनन पट्टा के अंतरण की तारीख से ही अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा आवद्ध होगा।

5. खनन पट्टे का अंतरण :- (1) नीलामी के माध्यम से अन्यथा प्रदत्त खनन पट्टा, जिसका उपयोग कैप्टिव प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, का पट्टाधारक इन नियमों की, **अनुसूची-1** में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले, किसी भी व्यक्ति को खनन पट्टा का अंतरण करने के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकता है।

(2) राज्य सरकार, उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के अंतर्गत, अंतरण के ऐसे आवेदन को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत करने के अपने निर्णय को, अंतरिती और अंतरक दोनों को सूचित करेगा :

परंतु यदि राज्य सरकार आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लेती है, राज्य सरकार, खनन पट्टा के अंतरण के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने के अपने निर्णय के कारणों की अंतरक तथा अंतरिती दोनों को सूचना देगी :

परंतु यह और कि यदि राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की समयावधि के अंतर्गत ऐसे अंतरण के लिए अपने निर्णय की सूचना अवगत नहीं देती है, तो अंतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुमोदन दिया गया मान लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि किसी खनन पट्टे का ऐसा कोई भी अंतरण ऐसी किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए नहीं किया जाएगा जिनके अधीन रहते हुए खनन पट्टा मूल रूप से अनुदत्त किया गया था।

(3) राज्य सरकार, उपनियम (2) में खनन पट्टा के अंतरण के आवेदन के अनुमोदन के 15 दिन के अंदर, खनन पट्टे के अनुमानित संसाधनों के मूल्य के आकलन के आधार पर, अंतरिती से अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर धनराशि के अग्रिम के संदाय की मांग करेगी।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अग्रिम भुगतान, राज्य सरकार से अग्रिम भुगतान की मांग के लिए पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की समयावधि के अंतर्गत एकमुश्त राशि में किया जाएगा।

- (5) अग्रिम संदाय को नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत संदेय धनराशि को पूरा का पूरा समायोजित किया जाएगा।
- (6) अंतरिती, उपनियम (4) में अग्रिम संदाय करने के 15 दिनों के अंदर, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 2 जुलाई, 2015 के भाग-I, खंड-1, में प्रकाशित प्रपत्र में खान विकास एवं उत्पादन करार पर राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर करेगा।
- (7) अंतरिती, उपनियम (6) में खान विकास एवं उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के अंदर, इन नियमों के साथ संलग्न **अनुसूची-2** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर धनराशि के लिए बैंक गारंटी के रूप में अथवा प्रतिभूति जमा के तौर पर, राज्य सरकार को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा इस निष्पादन प्रतिभूति की खान विकास एवं उत्पादन समझौता के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, मांग की जा सकती है।
- (8) निष्पादन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्षों में समायोजित किया जाएगा ताकि यह अनुमानित संसाधनों के पूनर्मूल्यांकन मूल्य के 0.50 प्रतिशत के तत्समान बनी रह सके।
- (9) अंतरक और अंतरिती, खनन पट्टा के अंतरण के लिए, उपनियम (4),(6) तथा उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर **अनुसूची-3** में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत विलेख संयुक्त रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- (10) यदि उपनियम (9) में संदर्भित सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत विलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उपनियम (2) में राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा के अंतरण के लिए दिया गया अनुमोदन बातिल और शून्य होना समझा जाएगा।
- (11) अंतरण विलेख के प्रारंभ की तारीख वह होगी जिस को सम्यकतः निष्पादित अंतरण विलेख रजिस्ट्रीकृत हुआ है।
- (12) राज्य सरकार उपनियम (9) में निर्दिष्ट खनन पट्टा के अंतरण के लिए विलेख के रजिस्ट्रीकरण के नब्बे दिनों के अंदर खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची 7 में दिए गए प्रपत्र में अंतरिती के साथ खनन पट्टा विलेख निष्पादित करेगी।
- 6. अंतरण प्रभार एवं अन्य संदाय :** (1) जब कभी भी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के निबंधनानुसार स्वामित्व संदेय होगा तो अंतरिती अंतरण प्रभार के रूप में, स्वामित्व के अतिरिक्त, संदाय की गई स्वामित्व के प्रतिशत के तौर पर, **अनुसूची-4** में, निर्दिष्ट राशि का राज्य सरकार को संदाय करेगा।
- (2) अंतरिती राज्य सरकार को उप-नियम(1) में दर्शाए गए संदेय अंतरण प्रभारों का स्वामित्व संदाय के साथ-साथ संदाय करेगा।
- (3) अंतरिती राज्य सरकार को स्वामित्व अथवा अनिवार्य भाटक का संदाय अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
- (4) अंतरिती राष्ट्रीय खनिज गवेषण ट्रस्ट नियम, 2015 के नियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट धनराशियों का अंशदान राष्ट्रीय खनिज गवेषण ट्रस्ट के अभिहित खातों में तथा खान एवं खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अंशदान) नियम, 2015 में यथा विनिर्दिष्ट धनराशियों का जिला खनिज प्रतिष्ठान के अभिहित खातों में करेगा।
7. राज्य सरकार, नियम 5 के अधीन किए गए अंतरण के बारे में लिखित रूप से महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को सूचित करेगी।
8. राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार की राय में खनन पट्टाधारी ने इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है अथवा यथास्थिति अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार से भिन्न ऐसे किसी पट्टे अथवा किसी अधिकार, स्वामित्व अथवा हित का अंतरण, किया है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा किसी खनन पट्टे को समाप्त कर सकती है :
- परंतु ऐसा कोई भी आदेश खनन पट्टाधारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा।

अनुसूची-1
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]
[खनन पट्टा अंतरण आवेदन का प्रपत्र]

सेवा में

[पता]

मैं/हम खनन पट्टा के अंतरण की मांग के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

क्र. सं.	मद ब्यौरा	विवरण
1.	अंतरक का नाम	
2.	अंतरक का पता	
3.	अंतरिती का नाम	
4.	अंतरिती का पता	
5.	खनन पट्टा संख्या	
6.	खनन पट्टा की पंजीयन तिथि	
7.	क्या अंतरिती अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा धारण करने के योग्य है?	हां/नहीं
8.	अंतरिती द्वारा देय राशि	
9.	क्या अंतरिती खनन पट्टे के संबंध में किसी भी मौजूदा समय में लागू कानून, जिसके अधीन अंतरक था, के तहत सभी शर्तों और देयताओं को सवीकार करने के लिए सहमत है	हां/नहीं

हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दी गई समस्त विवरण सही है और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य जानकारी देने के लिए तैयार हूँ/हैं।

अंतरिती और अंतरक खनन पट्टा के अंतरण के संदर्भ में नियम 12क और खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अतिरिक्त) रियायत नियम, 2016 और खनिज (कैप्टिव प्रयोजनार्थ नीलामी के माध्यम से अन्यथा अनुदत्त खनन पट्टा का अंतरण) नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने के लिए भी वचनबद्ध हैं।

भवदीय,

अंतरक

.....

अंतरिती

.....

स्थान:

दिनांक:

आवेदकों के लिए दिशानिर्देश:

(क) आवेदन पर आवेदकों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए, यदि आवेदक एक कंपनी है। यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो आवेदक को स्वयं आवेदन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आवेदक एक फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम है, तो फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम के सभी भागीदार/सदस्य आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ख) आवेदक (जो कि एक कंपनी है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कॉरपोरेट प्राधिकार पत्र आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। ऐसे कॉरपोरेट प्राधिकार पत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में राज्य सरकार को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

(ग) अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत, खनन पट्टा धारण के लिए अंतरिती की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य को आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुसूची-2

[नियम 5 का उपनियम (7) देखें]

[निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र]

[तारीख]

[बैंक की संदर्भ सं.]

सेवा में,

राज्यपाल (राज्य का नाम)

(पता)

यतः

क. **[नाम]** कंपनी अधिनियम, [1956/2013] के अधीन भारत में निगमित, जिसकी कॉरपोरेट पहचान संख्या (आवेदक का सीआईएन), जिनका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और कारोबार का प्रमुख स्थान [कारोबार के प्रमुख स्थान का पता, यदि यह पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो] है (**"अंतरिती"**) को (निष्पादन बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख) (**"समाप्ति तारीख"**) तक वैध निष्पादन प्रतिभूति के तौर पर भारतीय रूपए [अंकों में] [भारतीय रूपए (शब्दों में)] के बराबर की रकम के लिए बिना शर्त एवं अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी देना अपेक्षित है।

केवल कंपनियों के लिए उल्लिखित, प्रपत्र में व्यक्तियों/अन्य आवेदकों को भी शामिल किया जाएगा।

ख. **राज्यपाल (राज्य का नाम), ("राज्य")** को [रियायत का विवरण] (**संयुक्त रूप से "रियायत प्रलेख"**) के संबंध में मूल प्रलेखों के संदर्भ में-पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा, खान विकास और उत्पादन रियायत प्रलेख के दिनांक [दिनांक] कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

ग. हम **[बैंक का नाम] ("बैंक")** अंतरिती के अनुरोध पर इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य की मांग पर रियायत दस्तावेज के अधीन आवेदक के दायित्वों को सुरक्षित करने हेतु भारतीय रूपए [अंकों में] (भारतीय रूपए [शब्दों में]) (**"गारंटी रकम"**) से अनधिक की रकम राज्य को भुगतान करने का वचन देते हैं:

अतः अब, बैंक एतद्वारा गारंटी मात्रा में आवेदक की ओर से यह अप्रतिसंहरणीय और शर्त रहित भुगतान बैंक गारंटी (**"गारंटी"**) राज्य के पक्ष में जारी करता है:

1. बैंक इस उद्देश्य से राज्य से प्राप्त प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर तत्काल राज्य को उसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु, ऐसी मांग के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंक को आधार अथवा कारणों को दर्शाने अथवा साबित करने की आवश्यकता के बिना और किसी भी मामले पर राज्य और आवेदक के मध्य किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद, वह राशि अथवा राशियां (एक अथवा अधिक दावों के माध्यम से) जो कि कुल की गारंटी मात्रा से अधिक न हो, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध अथवा उपाय के बिना शर्त तथा स्थायी तौर पर भुगतान करने का वचन देता है। बैंक के दायित्वों के संबंध में, संपूर्ण और स्पष्ट होने के तहत, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले अथवा कार्यवाही में अंतरिती द्वारा उत्पन्न किसी विवाद अथवा विवादों के होते हुए भी, बैंक मांगी गई राशि का भुगतान राज्य को करने का वचन देता है।
2. बैंक यह स्वीकार करता है कि राज्य को बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम की राज्य द्वारा ऐसी कोई भी मांग, रियायत दस्तावेज के अधीन राज्य को अंतरिती द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम के संबंध में अंतिम, वाध्यकारी और निर्णायक प्रमाण होगी।
3. बैंक एतद्वारा राज्य द्वारा अंतरिती से उपयुक्त राशि अथवा उसके किसी अंश की मांग की आवश्यकता से छूट देता है और साथ ही इस गारंटी के अधीन, भुगतान हेतु बैंक में किसी लिखित मांग को प्रस्तुत करने से पूर्व, आवेदक के विरुद्ध अपने विधिक उपचार का राज्य द्वारा अपनाए जाने को आवश्यक बनाने के बैंक के किसी अधिकार से भी छूट देता है।

4. इसके अतिरिक्त बैंक बिना शर्त राज्य से सहमत है कि राज्य को छूट होगी कि बिना बैंक की सहमति के और इस गारंटी के अधीन बैंक के किसी दायित्व को किसी रूप में प्रभावित किए, बिना समय-समय पर :
- (i) रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों में बदलाव और/अथवा संशोधन कर सकेगा;
 - (ii) विस्तृत रियायत दस्तावेज के अधीन अंतरिती के दायित्वों के निष्पादन हेतु समय को बढ़ा और/अथवा स्थगित कर सकेगा;
 - (iii) रियायत दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों के अधीन अंतरिती के विरुद्ध राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों को प्रविरत अथवा प्रवृत्त कर सकेगा ।
- और बैंक, राज्य के किसी कृताकृत्य के कारण अथवा अंतरिती के प्रति राज्य के किसी अनुग्रह अथवा ऐसे किसी भी कारण से, जिसके कारण जमानती से संबंधित किसी कानून में बैंक को इस गारंटी से मुक्त करने का प्रभाव हो, अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा ।
5. इसके तहत किया गया कोई भी भुगतान वर्तमान एवं भविष्य के किसी कर, लेवी, इम्पोस्ट, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, कटौतियों अथवा किसी भी प्रकृति की रोकों, से मुक्त और स्वतंत्र होगा ।
6. बैंक सहमत है कि राज्य अपने विकल्प पर अंतरिती के विरुद्ध पहले कार्यवाही किए बिना, प्रमुख ऋणदाता के तौर पर, बैंक के विरुद्ध पहले इस गारंटी को लागू करने का हकदार होगा ।
7. बैंक यह भी सहमति देता है कि इसमें निहित गारंटी, रियायत दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह प्रभाव में एवं लागू रहेगी और यह कि यह तब तक लागू रहेगी जब तक अंतरिती की निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में उक्त रियायत दस्तावेज के आधार पर अथवा अधीन सभी दायित्वों की पूरी तरह पूर्ति नहीं हो जाती और उसके दावों की संतुष्टि अथवा पूर्ति नहीं हो जाती अथवा जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में अनुबंध की नियम एवं शर्तों का पूरी तरह एवं उचित रूप में आवेदक द्वारा पालन कर लिया गया है और तदनुसार इस गारंटी को मुक्त कर दिया गया है । इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समाप्ति की तारीख तक अथवा उसके पूर्व लिखित में बैंक में इस गारंटी के अधीन कोई मांग अथवा दावा नहीं पेश किया जाता तो बैंक को तदनंतर इस गारंटी के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा ।
8. इस गारंटी के अधीन बैंक द्वारा किया गया भुगतान इस आधार पर भुगतान हेतु बैंक के दायित्वों की वैध पूर्ति मानी जाएगी और राज्य ऐसा भुगतान करने के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा पेश नहीं कर पाएगा ।
9. यह गारंटी भारत की विधि के अधीन है । इस गारंटी अथवा इसकी विषय वस्तु के कारण उत्पन्न किसी वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाही राज्य [संबंधित राज्य] के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगी ।
10. बैंक के पास इस गारंटी को राज्य के पक्ष में जारी करने का अधिकार है । इस गारंटी को बैंक के संघटन में परिवर्तन के फलस्वरूप मुक्त नहीं किया जा सकेगा ।
11. बैंक, लिखित में राज्य की पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके जारी रहने के दौरान प्रतिसंहरित नहीं करने के लिए वचनबद्ध है ।
12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना द्वारा, अन्य विभागों, मंत्रालयों अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को इस गारंटी के अधीन अधिकार दे सकेगा, जो राज्यपाल के नाम पर कार्य करेंगे । खंड-12 में उपबंधित के सिवाय, यह गारंटी समनुदेशनीय अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी ।
13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
- क. इस बैंक गारंटी के अधीन बैंक का दायित्व गारंटी रकम से अधिक नहीं होगा।
 - ख. यह बैंक गारंटी समाप्ति की तारीख तक मान्य होगी ।

14. बैंक केवल इस बैंक गारंटी के अधीन गारंटी की रकम अथवा उसके किसी अंश के भुगतान के लिए सिर्फ और केवल तभी उत्तरदायी है जब राज्य समाप्ति की तारीख को अथवा उसके पूर्व बैंक को लिखित दावा अथवा मांग पेश करता है।

.....(वर्ष).....(माह).....(तारीख)

जिसके साक्ष्य में बैंक ने, अपने प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, अपना हस्ताक्षर और मोहर लगाई है।

.....

(हस्ताक्षर)

.....

(नाम और पदनाम)

(बैंक मोहर)

अनुसूची-3

[नियम 5 का उपनियम (9) देखें]

[खनन पट्टा हेतु अंतरण विलेख का प्रपत्र]

अंतरण विलेख ("**विलेख**") [वर्ष] के [माह] के इस [दिन] निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया जाता है:

1. (**व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय**) (यहां इसके पश्चात "**अंतरक**" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिनी को शामिल माना जाएगा); अथवा

निम्न के द्वारा व्यक्तियों के संगम का नाम तथा अथवा प्रतिनिधि का नाम पता तथा व्यवसाय सहित जिसे सभी सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किया गया है। (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात से "**अंतरक**" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिनी को शामिल मानी जाएगा); अथवा

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म का नाम (सभी साझेदारों के नाम पते सहित) अथवा (उस प्रतिनिधि का नाम, पता तथा व्यवसाय जिसे सभी सदस्यों द्वारा प्राधिकृत किया गया है) के नाम (फर्म का नाम) के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] में हों (यहां इसके पश्चात "**अंतरक**" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, सभी उक्त साझेदारों उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिनी को शामिल मानी जाएगा); अथवा

प्रथम पक्ष की एक कंपनी (कंपनी का नाम) जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता] में है तथा जिसका प्रतिनिधित्व (निदेशक का नाम पता सहित जिसे निदेशक मंडल में प्राधिकृत किया है) (यहां इसके पश्चात से "**अंतरक**" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिनी को शामिल माना जाएगा); और

2. (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) (यहां इसके पश्चात "**अंतरिनी**" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिनी को शामिल माना जाएगा); अथवा

व्यक्तियों के संगम का नाम द्वारा (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) और (व्यक्ति का नाम, पता सहित व व्यवसाय) अथवा (उस प्रतिनिधि का नाम पता तथा व्यवसाय जिसे सभी सदस्यों ने विधिवत प्राधिकृत किया है),

(यहां इसके पश्चात "अंतरिती" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा); अथवा

निम्न के द्वारा साझेदार फार्म का नाम (सभी साझेदारों के नाम और पते) अथवा उस प्रतिनिधि का नाम, पता तथा व्यवसाय जिसे सभी साझेदारों ने विधिवत प्राधिकृत किया हो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत फर्म (फर्म का नाम) के नाम के रूप में साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय [पता] में हों (यहां इसके पश्चात "अंतरिती" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उक्त साझेदारों, उसके उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा) ; अथवा

दूसरे पक्ष की (कंपनी का नाम) एक कंपनी जो (अधिनियम, जिसके तहत निगमित हुई) के तहत पंजीकृत है और जिसका प्रतिनिधित्व (निदेशक का नाम और पता जजिसे निदेशक मंडल ने प्राधिकृत किया है। पंजीकृत कार्यालय [पता] (यहां इसके पश्चात से "अंतरिती" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उसके उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा);

और

3. तीसरे पक्ष, राज्यपाल (राज्य) (यहां इसके पश्चात "राज्य सरकार" के रूप में उल्लेखित जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य है, उत्तराधिकारियों और अनुज्ञात समनुदेशिती को शामिल माना जाएगा)।

यत :

- (क) अंतरक को राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा प्रदान किया गया है जिसके संबंध में राज्य सरकार और अंतरक ने खनन पट्टा (सामूहिक "रियायत दस्तावेज") के संबंध में पट्टा विलेख दिनांक [तिथि] को निष्पादित किया है और उप रजिस्ट्रार [पता] के कार्यालय में पंजीकरण सं. [संख्या] दिनांक [तिथि] को पंजीकृत किया गया है और इसकी एक प्रति यहां **परिशिष्ट-क** में संलग्न है।
- (ख) रियायत दस्तावेजों के संबंध में, अंतरक रियायत दस्तावेज (**परिशिष्ट-ख** में विशेष रूप से वर्णित) की अनुसूचियों में वर्णित भूमि में खनिजों (खनिजों के नाम) के संबंध में खानों की खोज करने, जीतने और कार्य करने का हकदार है, जो किराया और रायल्टी के भुगतान और अंतरक के प्रसंविदा की निगरानी एवं कार्य निष्पादन तथा प्रयोज्य कानूनों के उल्लंघन में, खनन पट्टा को अंतरण न करने की प्रसंविदा सहित रियायत दस्तावेज की शर्तों के अधीन है।
- (ग) अंतरक ने अपने अंतरण आवेदन पत्र, दिनांक [दिनांक] के अनुसार, राज्य सरकार से, अंतरक को खनन पट्टा अंतरित करने के संबंध में अनुमोदन का अनुरोध किया है।
- (घ) राज्य सरकार ने, अपने पत्र दिनांक (दिनांक) के अनुसार इस दस्तावेज में शामिल निबंधन और शर्तों के अंतर्गामी द्वारा अनुपालन करने के अधीन अंतरक के अंतरण आवेदन को अनुमोदित किया है।

अब यह दस्तावेज निम्नानुसार साक्ष्य देते हैं :

1. इस दस्तावेज में कैपीटल किए गए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है परंतु परिभाषित नहीं किया गया है जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, रियायत दस्तावेजों में उसके संबंध में बताया गए अर्थ के अनुसार होगा।
2. अंतरिती एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि खनन पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से तथा पश्चात, अंतरिती रियायत दस्तावेजों में निहित सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के प्रावधानों द्वारा आबद्ध होगा तथा उन्हें संपन्न करने, पालन करने तथा अनुरूप चलने के लिए उत्तरदायी होगा तथा सभी संबंध में उसी रीति के अधीन होगा जैसे कि अंतरिती को पट्टे के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किया गया हो और उसने मूलरूप से रियायत दस्तावेज निष्पादित किया हो।
3. इसे एतद्वारा सहमति प्राप्त हुई है और अंतरक को एक पक्ष और अंतरिती को दूसरा पक्ष घोषित किया गया है :
- 3.1 अंतरिती और अंतरक यह घोषित करते हैं कि अंतरिती खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए अंतरक द्वारा दिए जाने वाले सभी अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे और आगे भी पूरी करते रहेंगे।

- 3.2 अंतरक और अंतरिती घोषित करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र के ऊपर खनिज संबंधी अधिकार, जिसके लिए खनन पट्टा का अंतरण किया जा रहा है, राज्य सरकार में निहित है।
- 3.3 अंतरिती यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें रियायत दस्तावेज की प्रति प्राप्त हो गई है, और उसने उसे पढ़ और समझ लिया है तथा प्रसंविदा, सहमति और पुष्टि करता है कि रियायत दस्तावेज के सभी प्रावधानों द्वारा बाध्य होंगे जैसाकि वे वहां मूल पक्ष हैं।
- 3.4 अंतरक यह घोषित करते हैं कि उसने किसी अन्य रीति से खनन पट्टा का अंतरण नहीं किया है जिसे अब अंतरण किया जा रहा है और कोई अन्य व्यक्ति या शक्तियों का कोई अधिकार स्वतय या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान खनन पट्टा अंतरण किया जा रहा है।
- 3.5 अंतरिती एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि उसने सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जो इस खनन पट्टा के संबंध में अंतरक के थे।
- 3.6 अंतरक ने 65 मीटर चौड़ी बेल्ट के आस-पास सभी गेवषण योजनाओं और छोड़े गए गड्डों की मूल या प्रमाणीकृत प्रति अंतरिती को दे दी है।
- 3.7 अंतरिती एतद्वारा अतिरिक्त घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, संपूर्ण क्षेत्र जो खनिज रियायत के तहत उसके द्वारा उपयोग की जा रही थी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 अथवा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है।
- 3.8 अंतरक ने खनन पट्टे के संबंध में इस दिनांक तक सभी किराया रॉयल्टी तथा अन्य देयों का राज्य सरकार को भुगतान कर दिया है।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षकारों ने उपरिल्लिखित तारीख और वर्ष में हस्ताक्षर कर दिए हैं।

राज्य सरकार के लिए उसकी ओर से

नाम:

पदनाम:

अंतरक के लिए उसकी ओर से

नाम:

अंतरिती के लिए उसकी ओर से

नाम:

परिशिष्ट क:

रियायत दस्तावेज की प्रति

परिशिष्ट ख:

खनन पट्टा का स्थल एवं क्षेत्र

[प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र का न्यूँरा]

अनुसूची-4

[नियम 6 का उपनियम (1) देखें]

अंतरण प्रभारों की राशि

अंतरिती द्वारा भुगतान योग्य अंतरण प्रभार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के तहत भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का अस्सी प्रतिशत के बराबर होगी।

[फा. सं. 1/2/2016-एम. VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2016

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by clause (qqja) of sub-section (2) of section 13 read with the proviso to sub-section (6) of section 12A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
 - (b) “transfer charges” means the amount to be paid from time to time by the transferee to the State Government as notified in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 6;
 - (c) “transferee” means a person to whom a mining lease granted otherwise than through auction to be used for captive purpose is to be transferred;
 - (d) “transferor” means a person who holds the mining lease to be transferred, which was granted otherwise than through auction and is being used for captive purpose;
 - (e) “used for captive purpose” means the use of the entire quantity of mineral extracted from the mining lease in a manufacturing unit owned by the lessee;
 - (f) “value of mineral dispatched” shall have the meaning as specified in sub-rule (2) of rule 8 of the Mineral (Auction) Rules, 2015.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or rules made thereunder.

3. Applicability.- (1) These rules shall apply to transfer of a mining lease granted otherwise than through auction which is being used for captive purpose.

4. Conditions for transfer.- (1) No transfer of mining lease granted otherwise than through auction being used for captive purpose shall be permitted except in accordance with the provisions of these rules.

(2) The transfer of a mining lease granted otherwise than through auction shall be permitted only where the entire quantity of mineral extracted from such mining lease is being used in a manufacturing unit owned by the lessee.

(3) Any approval for transfer of a mining lease granted otherwise than through auction which is being used for captive purpose shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for conducting mining operations, and which were obtained by the transferor, shall stand transferred *mutatis mutandis* to the transferee;
- (b) the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such mining lease;
- (c) on and from the date of transfer of the mining lease, the transferee shall be liable to the Central Government and the State Government with respect to any and all liabilities relating to the mining lease.

- (d) the transferee shall ensure that the entire quantity of mineral including rejects or tailings or slimes or dumps or overburden extracted from the mining lease shall be used exclusively for captive purpose and shall not be sold or exported; and
- (e) on and from the date of transfer of the mining lease, the transferee shall be bound by the provisions of the Act and the rules made thereunder.

5. Transfer of mining lease.— (1) The holder of a mining lease, granted otherwise than through auction which is being used for captive purpose, may apply to the State Government for transferring the mining lease to any person satisfying the conditions specified in sub-section (1) of section 5 of the Act, in the format given in **Schedule I** appended to these rules.

(2) The State Government shall, within a period of ninety days of receipt of the application made under sub-rule (1), convey its decision to approve or reject such application for transfer to both the transferor and the transferee:

Provided that in case the State Government decides to reject the application, the State Government shall communicate to both the transferor and the transferee, the reasons for its decision to reject the application for transfer of the mining lease:

Provided further that if the State Government does not convey its decision for such transfer within a period of ninety days from the date of receiving an application under sub-rule (1), the State Government shall be deemed to have approved such transfer:

Provided also that no such transfer of a mining lease shall be made in contravention of any of the conditions subject to which the mining lease was originally granted.

(3) The State Government shall, within fifteen days of its approval of the application for transfer of mining lease in sub-rule (2), based upon an estimation of the value of estimated resources of the mining lease, raise a demand upon the transferee for making an upfront payment of an amount equal to 0.50 per cent. of the value of the estimated resources.

(4) The upfront payment referred to in sub-rule (3) shall be made in one lump sum within a period of thirty days from the date of receipt of demand for making the upfront payment by the State Government.

(5) The upfront payment shall be adjusted in full against the amount payable under sub-rule (1) of rule 6.

(6) The transferee shall, within fifteen days of making the upfront payment in sub-rule (4), sign the Mine Development and Production Agreement in the format published by the Government of India in the Ministry of Mines, *vide* Part I, Section-I of the Gazette of India, dated the 2nd July, 2015 with the State Government.

(7) The transferee shall, within fifteen days of signing the Mine Development and Production Agreement in sub-rule (6), provide a performance security to the State Government in the form of a bank guarantee as per the format given in **Schedule II** appended to these rules or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.50 per cent. of the value of estimated resources, and the performance security may be invoked by the State Government as per the terms and conditions of the Mine Development and Production Agreement.

(8) The performance security shall be adjusted every five years so that it continues to correspond to 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources.

(9) The transferor and the transferee shall jointly submit a duly registered deed for transfer of mining lease in the format given in **Schedule III** appended to these rules within a period of thirty days of fulfillment of the conditions specified in sub-rules (4), (6) and sub-rule (7).

(10) If a duly registered transfer deed is not submitted to the State Government as referred to in sub-rule (9), then the approval given by the State Government for transfer of mining lease in sub-rule (2) shall be deemed to have become null and void.

(11) The date of commencement of the transfer deed shall be the date on which a duly executed transfer deed is registered.

(12) The State Government shall execute a mining lease deed with the transferee in the format given in Schedule VII appended to the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, within ninety days of registration of the deed for transfer of mining lease referred in sub-rule (9).

6. Transfer charges and other payments.— (1) Whenever royalty is payable in terms of the Second Schedule to the Act, the transferee shall in addition to the royalty, pay to the State Government as transfer charges the amount given in **Schedule IV** appended to these rules, as a per cent. of the royalty.

(2) The transferee shall make payments of the transfer charges as referred to in sub-rule (1), to the State Government simultaneously with payments of royalty.

(3) The transferee shall pay royalty or dead rent to the State Government as specified in the Act and the rules made thereunder.

(4) The transferee shall contribute such amounts to the designated account of the National Mineral Exploration Trust as specified in rule 7 of the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015, and the designated account of the District Mineral Foundation as specified in the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015.

7. The State Government shall inform the Controller General, Indian Bureau of Mines in writing about the transfer made under rule 5.
8. The State Government may, by an order in writing, terminate the mining lease, if the holder of the mining lease has in the opinion of the State Government committed a breach of any of the provisions of these rule or has transferred such lease or any right, title, or interest therein otherwise than in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, as the case may be:

Provided that no such order shall be made without giving the holder of the mining lease a reasonable opportunity of stating his case.

SCHEDULE I

[See sub-rule (1) of rule 5]

(FORMAT OF APPLICATION FOR TRANSFER OF MINING LEASE)

To

[Address]

I/We request for seeking transfer of mining lease.

S. No.	Item Detail	Particulars
1.	Name of the transferor	
2.	Address of the transferor	
3.	Name of the transferee	
4.	Address of the transferee	
5.	Mining lease number	
6.	Date of registration of mining lease	
7.	Whether the transferee is eligible to hold the mining lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder?	Yes/No
8.	The consideration payable by the transferee	
9.	Whether the transferee is agreeable to accept all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a mining lease.	Yes/No

We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

The transferee and transferor also undertake to comply with the provisions of section 12A and the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and the Minerals (Transfer of Mining Lease Granted Otherwise than through Auction for Captive Purpose) Rules, 2016 with respect to the transfer of the mining lease.

Yours faithfully,

Transferor

.....

Transferee

.....

Place:

Date:

Instructions to applicants:

- (a) The application must be signed by a duly authorized representative of the applicants, in case the applicant is a company. In case the applicant is an individual, the applicant must personally sign the application. In case of a firm or association of individuals, all the partners/members constituting the firm or association of individuals shall sign the application.
- (b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the State Government.
- (c) Documentary evidence to confirm eligibility of the transferee to hold the mining lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, must be submitted along with the application.

SCHEDULE II

[See sub-rule (7) of rule 5]

(FORMAT OF BANK GUARANTEE FOR PERFORMANCE SECURITY)

[Reference number of the bank]

[Date]

To

The Governor of [Name of State]

[address]

WHEREAS

- A. [Name] incorporated in India under the Companies Act, [1956/2013] with corporate identity number [CIN of the Transferee], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office]¹ (the “**Transferee**”) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] (“**Expiry Date**”).

Mentioned only for companies, the format to include individuals / other applicants also

- B. The Performance Security is required to be provided to **The Governor of [Name of State]**, (the “**State**”) for discharge of certain obligations under the [reference to the principal documents –prospecting licence/mining lease, mine development and production agreement] dated, [date] with respect to [particulars of concession] (collectively the “**Concession Document**”).
- C. We, [name of the bank] (the “**Bank**”) at the request of the Transferee do hereby undertake to pay to the State an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“**Guarantee Amount**”) to secure the obligations of the Transferee under the Concession Document on demand from the State on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the State this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the “**Guarantee**”) on behalf of the Transferee in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the State without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the State needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the State and Transferee on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the State any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Transferee in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank’s liability under this present being absolute and unequivocal.
2. The Bank acknowledges that any such demand by the State of the amounts payable by the Bank to the State shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Transferee to the State under the Concession Document.
3. The Bank hereby waives the necessity for the State from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Transferee and also waives any right that the Bank may have of first requiring the State to pursue its legal remedies against the Transferee, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

¹ Note: To be modified if the Transferee is not a company.

4. The Bank further unconditionally agrees with the State that the State shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:
- (i) vary and/or modify any of the terms and conditions of the Concession Document;
 - (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Transferee under the Concession Document, or
 - (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the State against the Transferee under the terms and conditions of the Concession Document.

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the State or any indulgence by the State to the Transferee or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that State at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Transferee.
7. The Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that specified in the Concession Document and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Transferee under or by virtue of the said Concession Document with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the State certifies that the terms and conditions of the Concession Document with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Transferee and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and the State shall have no claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the State of [respective State].
10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the State. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank
11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the State in writing.
12. The State may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the Governor. Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,
- a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.
 - b. This bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.
14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the State serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

SCHEDULE III

[See sub-rule (9) of rule 5]

(FORMAT OF DEED FOR TRANSFER OF MINING LEASE)

The Transfer Deed (“**Deed**”) is made on this [day] day of [month], [year] between:

1. (*Name of the individual with address and occupation*) (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns); or

Name of the association of individuals through (*Name of member with address and occupation*) and (*Name of member with address and occupation*) or (*Name of the representative with address and occupation who has been duly authorised by all members*) (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns); or

Name of the partnership firm through (*Names and addresses of all the partners*) or (*name of the representative with details of address and occupation who has been duly authorised by all partners*) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (*Name of the firm*) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns); or

(*Name of Company*), a company registered under the (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [address] represented by (*Name of the Director with address who has been authorised by the Board of Directors*) (hereinafter referred to as the "**Transferor**" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part;

And

2. (*Name of the individual with address and occupation*) (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives and permitted assigns); or

Name of the association of individuals through (*Name of member with address and occupation*) and (*Name of member with address and occupation*) or (*Name of the representative with address and occupation who has been duly authorised by all members*) (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and their permitted assigns); or

Name of the partnership firm through (*Names and addresses of all the partners*) or (*name of the representative with details of address and occupation who has been duly authorised by all partners*) all carrying on business in partnership under the firm name and style of (*Name of the firm*) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at [address] (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression where the context so admits be deemed to include all the said partners, their respective heirs, executors, legal representatives and permitted assigns); or

(*Name of Company*), a company registered under the (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [address] represented by (*Name of the Director with address who has been authorised by the Board of Directors*) (hereinafter referred to as the "**Transferee**" which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the first part;

And

3. The Governor of [State] (hereinafter referred to as the "**State Government**" which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

WHEREAS:

- A. The Transferor has been granted a mining lease by the State Government in respect of which the State Government and the Transferor have executed a lease deed dated [date] and registered as no. [number] on [date] at the office of the Sub-Registrar of [address] in connection with the mining lease (collectively "**Concession Documents**") and the same is attached hereto as **Annexure A**.
- B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to search for, win and work mines and minerals in respect of (*Name of minerals*) in the lands described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in **Annexure B**), for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the mining lease in violation of applicable laws.

- C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [*date*], requested the State Government for its approval in connection with transfer of the Mining Lease to the Transferee.
- D. The State Government has, pursuant to its letter dated [*date*] approved the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents.
2. The Transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the mining lease, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the mining lease had been granted to the Transferee as the lessee thereunder and he/ it had originally executed the Concession Documents as such.
3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:
 - 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the mining lease.
 - 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the mining lease is being transferred vest in the State Government.
 - 3.3. The Transferee acknowledges that he/ it has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.
 - 3.4. The Transferor hereby declares that he/ it has not assigned or in any other manner transferred the mining lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present Mining Lease being transferred.
 - 3.5. The Transferee hereby declares that he/ it has accepted all the conditions and liabilities which the Transferors was having in respect of such mining lease.
 - 3.6. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all plans of abandoned workings in the area and in a belt sixty five metres wide surrounding it.
 - 3.7. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him/ it under mineral concessions are not in contravention of the provisions of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 or the rules made thereunder.
 - 3.8. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the State Government till the date, in respect of the mining lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.

For and on behalf of the State Government:

Name:

Designation:

For and on behalf of the Transferor:

Name:

For and on behalf of the Transferee:

Name:

ANNEXURE A:

Copy of Concession Documents

ANNEXURE B:

Location and area of the Mining Lease

[*Particulars of area to be provided*]

SCHEDULE IV

[*See sub-rule (1) of rule 6*]

AMOUNT OF TRANSFER CHARGES

Transfer charges payable by the transferee shall be an amount equal to eighty per cent. of the royalty paid in terms of Second Schedule to the Act.

[F. No. 1/2/2016-M.VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.